

राजस्थान सरकार
गृह (युप-10) विभाग

क्रमांक प. 1(1) गृह-10/07पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15.12.2021

-:संशोधित आज्ञा:-

इस विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 08.12.2021 के द्वारा राजस्थान अभियोजन सेवा के अधिकारियों के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के कम संख्या 1 व 2 पर अंकित अधिकारियों के कॉलम संख्या 3 में पद एवं पदस्थापन स्थान क्रमशः 1. उप निदेशक अभियोजन हाल अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, भ्र0नि0ब्यूरो, राज. जयपुर (पद विरुद्ध) एवं 2. उप निदेशक अभियोजन हाल अति. निदेशक अभियोजन (अभि.) अभियोजन निदेशालय राज. जयपुर (पद विरुद्ध) पढा जावें।

आज्ञा से,

६०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
5. अति. महानिदेशक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ।
7. निदेशक पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
8. निदेशक अभियोजन राज. जयपुर।
9. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
10. अतिरिक्त/उप निदेशक अभियोजन, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर।
11. सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ।
12. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त संशोधित आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
15. रक्षित/निजी पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1(1) गृह-10/07पार्ट

जयपुर, दिनांक: 08.12.2021

—आज्ञा—

राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1(6) वित्त/रुल्स/98 दिनांक 24.5.2004 के अनुसरण में इन्हें कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि को अपराह्न से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद व पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	अधिवार्षिकी आयु	सेवानिवृत्ति दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री तीर्थराम	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, भ्र0नि0ब्यूरो राज. जयपुर।	24.04.1962	23.04.2022	30.04.2022	
2	श्री अरुण माथुर पुत्र श्री उमेश प्रसाद	अति. निदेशक अभियोजन (अभि.) अभियोजन निदेशालय राज. जयपुर।	01.06.1962	31.05.2022	31.05.2022	
3.	श्री राजेश कुमार जैन पुत्र श्री पूरण मल	उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर।	01.06.1962	31.05.2022	31.05.2022	
4.	श्री विष्णु शंकर माथुर पुत्र श्री गंगा श्याम राय	उप निदेशक अभियोजन राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर।	24.06.1962	23.06.2022	30.06.2022	
5.	श्री नन्द किशोर सांखला पुत्र श्री जय सिंह सांखला	स0नि0अ0, भ्र0नि0ब्यूरो, जोधपुर।	01.07.1962	30.06.2022	30.06.2022	
6.	श्री मोहम्मद आबिद शेरवानी पुत्र श्री अब्दुल अलीम	उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर	25.07.1962	24.07.2022	31.07.2022	
7.	श्री संजय सिंह चौहान पुत्र श्री सुमेर सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तौडगढ़	18.07.1962	17.07.2022	31.07.2022	

1. क्रम संख्या 1 से 7 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. क्रम संख्या 1 से 7 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. क्रम संख्या 1 से 7 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
5. अति. महानिदेशक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

6. जिला कलक्टर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ।
7. निदेशक पेंशन विभाग, राज, जयपुर।
8. निदेशक अभियोजन राज, जयपुर।
9. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
10. अतिरिक्त/उप निदेशक अभियोजन, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर,, उदयपुर।
11. सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ।
12. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
15. रक्षित/निजी पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)